



राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 13/2025

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट: -

1. श्रीमति फरजाना बानो पत्नी निसार अहमद निवासी मदर टेरेसा स्कूल के पास, बालोतरा, जिला बालोतरा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

आदेश

दिनांक 14.05.2025

अपीलार्थी श्रीमति फरजाना बानो पत्नी निसार अहमद निवासी मदर टेरेसा स्कूल के पास, बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील अप्रार्थी अतिरिक्त जिला कलक्टर बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांत द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अप्रार्थी की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनाार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।


(सुशील कुमार)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा